BROADCASTERS IN A TIZZY AMIDST NTO 2.0

The broadcasters are in a tizzy amidst the TRAI seeking NTO 2.0 compliance report from broadcasters as the Supreme Court refused relief to Indian Broadcasting and Digital Foundation's (IBDF) request.

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) had issued letters to TV broadcasters seeking compliance details regarding the implementation of New Tariff Order (NTO) 2.0. The regulator has granted 10 days' time to the broadcasters to provide the compliance report.

The letter states that NTO 2.0, barring the second twin condition, has been upheld by the Bombay High Court. It asks the non-compliant broadcasters to comply with the new regulation and provide a compliance report in 10 days.

TRAI is scrutinising the prices of some of the channels announced by broadcasters and they feel that they are unsustainable and are against the interest of consumers.

The broadcasters and distribution platform operators (DPOs) have asserted that the New Tariff Operator (NTO) 2.0 will not just impact the service providers but will also prove detrimental for the consumers who will have to bear the brunt of price increase by the broadcasters.

NTO 1.0 and 2.0 have been brought keeping consumer interests in mind, however, the regulation will end up impacting the consumers the most. "India is a price-sensitive market. We want everything to be affordable and best in class at the same time. Since broadcast is a B2B arrangement whereas distribution is a B2C arrangement, they have a direct contact on the ground. A bouquet of channels is the best suitable for TV households as broadcasters are able to cross subsidise their channels," informed a broadcaster.

TRAI noted that a sustained misleading campaign is being run to create an impression that the impending price increase is due to NTO 2.0. This, the regulator said, is an incorrect representation of the NTO 2.0.

TRAI has said that it will not shy away from reviewing certain provisions including forbearance allowed to broadcasters in the larger interest of consumers and the Broadcasting Sector. ■

एनटीओ 2.0 के बीच परेशानी में प्रसारणकर्ता

ट्राई द्वारा प्रसारणकर्ताओं एनटीओ 2.0 अनुपालन रिपोर्ट की मांग के बीच प्रसारक परेशान है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) के अनुरोध पर राहत देने इंकार कर दिया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टीवी प्रसारकों को पत्र जारी कर नये टैरिफ आदेश (एनटीओ) 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में अनुपालन विवरण मांगा था। नियामक ने अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए प्रसारकों को 10 दिनों का समय दिया है।

पत्र में कहा गया है कि एनटीओ 2.0 को, दूसरी जुड़वां शर्त को छोड़कर, बंबई उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। यह गैर अनुपालन प्रसारकों को नये नियम का पालन करने और 10 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए कहता है। ट्राई प्रसारकों द्वारा घोषित कुछ चैनलों की कीमतों की जांच कर रहा है और उन्हें लगता है कि वे टिकाऊ नहीं है और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है।

प्रसारकों और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) ने जोर देकर कहा है कि न्यू टैरिफ ऑपरेटर (एनटीओ) 2.0 न केवल सेवा प्रदाताओं को प्रभावित करेगा, बल्कि उन उपभोक्ताओं के लिए भी हानिकारक साबित होता होगा, जिन्हें प्रसारकों द्वारा मूल्य वृद्धि का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

एनटीओ 1.0 व 2.0 को उपभोक्ता हितों का ध्यान में रखते हुए लाया गया है, हालांकि विनियमन उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। एक प्रसारक ने बताया कि 'भारत एक मूल्य संवेदनशील बाजार है। हम चाहते हैं कि सब कुछ एक ही समय में सस्ती और क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो। चूंकि प्रसारण एक बी2बी व्यवस्था है जबकि वितरण बी2सी व्यवस्था है, उनका सीधा संपर्क जमीन पर होता है। चैनलों का एक बुके टीवी परिवार के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि प्रसारक अपने चैनलों को क्रॉस सब्सिडी देने में सक्षम है।'

ट्राई ने कहा कि यह धारणा बनाने के लिए एक निरंतर भ्रामक अभियान चलाया जा रहा है कि आसन्न मूल्य वृद्धि एनटीओ 2.0 के कारण है। नियामक ने कहा कि यह एनटीओ 2.0 का गलत वर्णन है।

ट्राई ने कहा कि वह उपभोक्ताओं और प्रसारण क्षेत्र के व्यापक हित में प्रसारकों को दी गयी सहनशीलता सहित कुछ प्रावधानों की समीक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। ■